न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 27/2017 G.C.M.S. No. 2017/00206 दर्ज दिनांक : 25.04.2017

अपीलार्थिगण:

1. सोनिया कंवर पत्नि स्व. लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, निवासी नरसिंहपुरा, दिल्ली दरवाजा रोड़, सोजत सिटी।
2. हिना पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नि विशालसिंह पुत्र मनोहरसिंह राठौड़ निवासी मस्जिद के पीछे, प्रताप नगर कॉलोनी, चंदेरिया, जिला चित्त तौड़गढ़।
3. वृतिका पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह
4. राधिका पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह, उम्र 11 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता अपीलांट संख्या 1 सोनिया कंवर पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत, निवासी नरसिंहपुरा, दिल्ली दरवाजा रोड़, सोजत सिटी।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सुमित्रा कंवर पुत्री पन्नेसिंह पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत, निवासी सोजतसिटी हाल 198 सेक्टर सात विस्तार जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।
2. सूरज कंवर पत्नि स्व. पन्नेसिंह नाम हटाया गया।
3. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. पन्नेसिंह जाति राजपूत, निवासी नरसिंहपुरा, दिल्ली दरवाजा रोड़, सोजत सिटी अब मृतक जरिये कायम मुकाम:–
   3/1 मीरा कंवर पत्नि उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, उम्र 58 वर्ष
   3/2 प्रतापसिंह पुत्र उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, उम्र 35 वर्ष
   3/3 भानुप्रताप सिंह पुत्र उम्मेदसिंह, जाति राजपूत, उम्र 30 वर्ष,
   निवासीगण नरसिंहपुरा, दिल्ली दरवाजा रोड़, सोजत सिटी।
4. इन्द्रा कंवर पुत्री स्व. पन्नेसिंह पत्नि पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी सी–103 सिंग भूमि जसवंत नगर मोड खातीपुरा, जयपुर राजस्थान।
5. सरोज कंवर पुत्री स्व. पन्नेसिंह पत्नि दातारसिंह राठौड़, निवासी 231 नारायण विहार, जयपुर।
6. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 130/2011 बअनवान सुमित्रा कंवर बनाम सूरजकंवर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016

पैरोकार–

1. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 3
3. दीगर रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

130/2011 बअनवान सुमित्रा कंवर बनाम सूरजकंवर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने मुकदमे के तथ्यों के विपरित पक्षकारान के मध्य बिना कोई सहमति हुए, बिना राजीनामा के पक्षकारान की गैर मौजूदगी में निर्णय प्रदान किया है व डिक्री पर्चा जारी किया है। दिनांक 11.05.2016 को अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 को पत्रावली न्यायालय आपके द्वार ग्राम पंचायत शिवपुरा में उपस्थित होने की सूचना दी गई थीं। दिनांक 30.06.2016 को अपीलाण्ट सोनिया कंवर अकेली केम्प में उपस्थित हुई थीं, कोई रेस्पोंडेन्ट वहां उपस्थित नहीं हुआ। अपीलाण्टान व रेस्पोण्डेन्टान के कोई अधिवक्ता भी वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। काफी समय इन्तजार करने के बाद अपीलाण्ट संख्या 1 ने वहां पूछताछ की तो उसे बताया गया कि दोनों पक्षकारान उपस्थित हो व दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने पर भी राजीनामा तस्दीक करके फैसला किया जायेगा। आज प्रतिवादीगण पक्ष की ओर से आपके अलावा और कोई उपस्थित नहीं हैं। इसलिए आज न तो कोई राजीनामा हो सकता है न ही कोई फैसला हो सकता, आगे की पेशी केम्प पूरे होने पर अगस्त प्रथम सप्ताह तक पेशियां सेट करके बता दिये जाने बाबत बताया गया। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा बार–बार पेशियों के बारे में पूछने पर भी आगे की पेशियों के बारे में जानकारी नहीं हो सकी, अचानक दिनांक 28.07.2016 को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को बताया गया कि इस प्रकरण में दिनांक 30.06.2016 को निर्णय सुना दिया गया। तब दिनांक 28.07.2016 को ही अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिय गया था, परन्तु निर्णय एवं डिक्री पर्चा की नकले प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक 28.07.2016 से 203 दिन बाद दिनांक 15.07.2017 को उपलब्ध करवाई गई। निर्णय पढ़ने पर बहुत आश्चर्य हुआ। निर्णय में श्री ताराचंद भाटी अधिवक्ता मय वादीनी स्वयं उपस्थित होना लिखा है, जबकि उस दिन कोर्ट केम्प शिवपुरा में न तो वादीनी के अधिवक्ता श्री ताराचंद भाटी उपस्थित थे न ही वादीनी स्वंय तथा श्री भुण्डाराम जी चौधरी अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 स्वयं उपस्थित होना लिखा है, जबकि इस प्रकरण में प्रतिवादीगण कुल 9 ही हैं एवं श्री भुण्डाराम जी चौधरी अधिवक्ता को किसी भी प्रतिवादी ने पैरवी हेतु एडवोकेट नियुक्त नहीं किया गया। दिनांक 30.06.2016 को न तो श्री भुण्डाराम एडवोकेट उपस्थित थें, न वे प्रतिवादी संख्या 1 से 10 का प्रतिनिधित्व कर रहे थें। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 7, 8 व 9 भी उस दिन अनुपस्थित थें। दिनांक 30.06.2016 को यदि अपीलाण्टान प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 स्वयं तथा 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नाबालिग की ओर से माता प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित आते तो आदेशिका में उनकी उपस्थिति अवश्य ही दर्ज होती। प्रतिवादी संख्या 4 नाबालिग की माता नही बहिन है, माता प्रतिवादी संख्या 3 अपीलाण्ट संख्या 1 है, जो केवल वही उपस्थित थी व उससे उस दिन न तो कुछ पूछा गया न उसने स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त की। यदि स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त करती तो उससे स्वीकारोक्ति/सहमति स्वरूप अवश्य ही लिखित में राजीनामा पेश करवाया जाता। अपीलाण्टान ने रेवेन्यू मूल वाद को पूर्ण रूपेण कन्टेस्ट किया है। जवाबदावा भी प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस वाद में न तो विवाद्यक विचरित किये न ही अपीलाण्ट प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, ऐसा कर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनन गलती की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 30.06.2016 को वादपत्र लोक अदालत में निर्णय व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र का खण्ड़न किया गया। जोकि अपीलांट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 21.05.2014 द्वारा पत्रावली कायमी तनकीयात में नियत करते हुए पत्रावली दिनांक 18.06.2014 को नियत की गई, तत्पश्चात दिनांक 30.06.2016 तक पत्रावली निरंतर कायमी तनकीयात में कायम रही। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। जबकि न्यायालय का यह आज्ञापक कर्तव्य है कि वह वादपत्र में दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक कायम कर विवेचित कर पत्रावली में अग्रिम विचारण साक्ष्य आदि संपादित करें। दिनांक 30.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम किए

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बिना एवं किसी भी पक्षकारान की साक्ष्य लिए बिना एवं पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत व निष्पादित नहीं करने के बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा वादपत्र स्वीकार किया गया।

3. यह स्वीकृत विधिक स्थिति हैं कि लोक अदालत में प्रकरण केवल पक्षकारान की सहमति से ही रखे जा सकते हैं तथा उभयपक्षकारान की लिखित सहमति व निष्पादित राजीनामा के आधार पर ही वादपत्र निर्णित व डिक्री किया जा सकता है, अन्यथ्ज्ञा नहीं। राजीनामा के जरिये लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– **" No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties."** इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में दावा व जवाबदावा के आधार पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 की अनुपालना में विवाद्यक कायम किया जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित था तथा इसके पश्चात आदेश 15, 16, 18, 19 व 20 में विहित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया जाना अपेक्षित था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसंगत नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 130/2011 बअनवान सुमित्रा कंवर बनाम सूरजकंवर वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष की साक्ष्य आदि ली जाकर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण में आदेश 15, 16, 18, 19 व 20 में विहित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र में विधिनुसार अंतिम रूप से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली